भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR K 045381

यह ट्रस्ट (न्यास) आज दिनांक.........माह.............. सन् 2012 को ट्रस्टकर्त्ता श्री अमरेश कुमार, पिता- श्री परशुराम सिंह, धर्म- हिन्दु, निवासी- ग्राम-मुजौना, पोस्ट -परसा, थाना- परसा, जिला - सारण, पिन-841219 (बिहार) (भारत) हैं। यह ट्रस्ट (न्यास) के संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य के रूप में जाने जायेंगे।

सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा एवं आर्शीवाद से प्रेरित होकर मैं श्री अमरेश कुमार इस ट्रस्ट/न्यास **'जानकी सिंह एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट'** के निर्माण की घोषणा तथा इसके संचालन हेतु स्थायी कोष में 51,000/- (रूपये इक्यावन हजार मात्र) प्रदान करता हूँ जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सुपुर्द कर दी गयी है तथा इस ट्रस्ट के निष्पादन की घोषणा करता हूँ:-

District Registry Office,Saran

Token Number 12298	Reg. Year 2012	Serial Number 12011	Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Identified By	Ramji Singh						

Sig. रामजी सिंह
27-8-12

SCORE Ver.3.0	Powered by InfoSystem and Solutions,Patna	Biometric Captured By 1700sop004

Serial No. 12011 312

Book No. :- 4 Deed No. 943

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA T. 12298

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

Y 045392

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, सारण

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **27/08/2012** को **Amresh Kumar (Chairman)** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू० **1000** मुद्रांक शुल्क एवं रू० **2512** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं० **943** के रूप में पुस्तक सं० **4** की जिल्द सं० **15** के पृष्ठ सं० **130** से **149** तक **CD 4** में आज निबंधित एवं कुल **20** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

दिनांक- 27/08/2012 टोकन नं. 12298/2012

निलेश कुमार
निबंधन पदाधिकारी

'जानकी सिंह एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट'

का

ज्यास-पत्र

आमरेश कुमार ट्रस्टी डीड लिखवा को सही कागज पढ़कर समझ लिया। 27-8-12

District Registry Office,Saran

Token Number 12298 | Reg. Year 2012 | Serial Number 12011 | Deed Num...

PresType	Name	Sig.	Photo / Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Presented By	Amresh Kumar (Chairman)	अमरेश कुमार 27-8-12	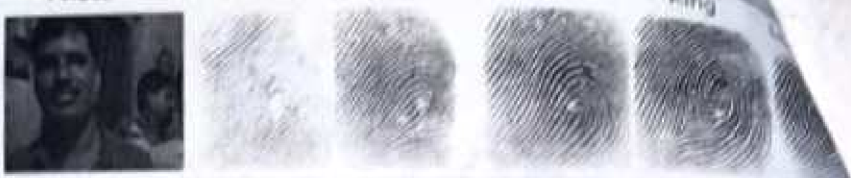
Trustee	Amresh Kumar (Chairman)		Photo, Thumb, Index, Middle, Ring, Little
Trustee	Janardan Pandey	जनार्दन पाण्डेय 27-8-12	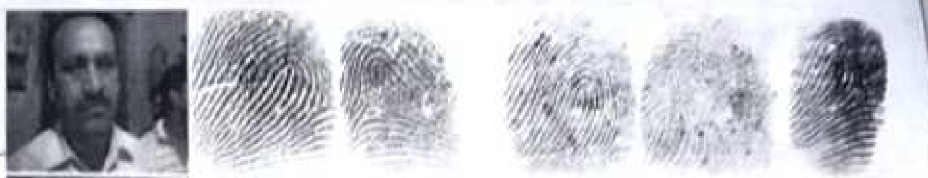
Trustee	Parmeshar Sharma	परमेश्वर शर्मा 27-8-12	
Trustee	Ram Lakshan Singh	राम लक्षण सिंह 27-8-12	
Trustee	Ramanand Singh	रामानन्द सिंह 27-8-12	
Trustee	Sanjay Kumar	संजय कुमार 27-8-12	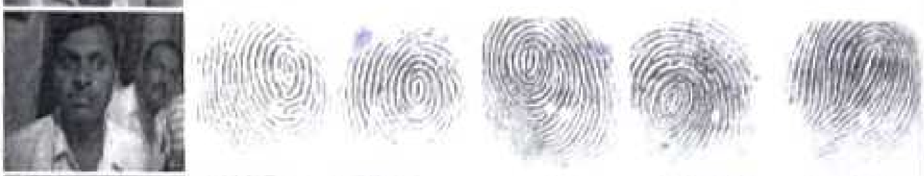
Trustee	Vijay Kumar Thakur	विजय कुमार ठाकुर 27-8-12	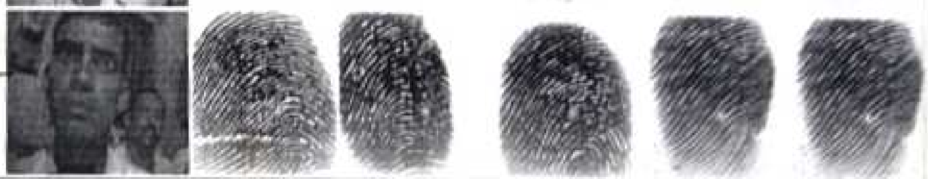

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 1700sop004

6081

अमरेश कुमार

1. ट्रस्ट (न्यास) का नामः- न्यास **'जानकी सिंह एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट'** के नाम से जानी जाएगी।

2. ट्रस्ट (न्यास) का पंजीकृत कार्यालय :- ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय - **ग्राम- मुजौना, पोस्ट- परसा, थाना-परसा, जिला - सारण, पिन - 841219 (बिहार)** में अवस्थित होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं निर्णयानुसार स्थानान्तरित की जा सकेगी या कार्यानुसार अन्य जगहों पर इसकी शाखाएँ स्थापित की जायेगी।

3. ट्रस्ट न्यास का कार्य क्षेत्र :- ट्रस्ट (न्यास) का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं अन्यत्र होगा ।

4. ट्रस्ट (न्यास) का गठनः- ट्रस्टियों के नाम, पुरा पता, पेशा तथा पदनाम निम्न प्रकार हैं:-

क्र सं	नाम एवं पिता/पति का नाम	पुरा पता	पेशा	पदनाम
1.	श्री अमरेश कुमार पिता- श्री परशुराम सिंह	ग्राम-मुजौना, पोस्ट -परसा थाना- परसा, जिला - सारण, पिन-841219 (बिहार)	समाजसेवा	संस्थापक सह चेयरमैन
2.	श्री जनार्दन पाण्डेय पिता - स्व0 महेन्द्र पाण्डेय	म0 सं- 73, मुहल्ला, मुसल्लहपुर, पोस्ट-महेन्द्रु, जिला-पटना, पिन-800006 (बिहार)	समाजसेवा	सचिव सह न्यासी
3.	श्री राम लक्षण सिंह पिता - स्व0 राम लगन सिंह	ग्राम-बनौता मुकुन्द, पोस्ट + थाना- परसा, जिला - सारण, (बिहार)	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष सह न्यासी
4.	श्री विजय कुमार ठाकुर पिता-रामकिशुन ठाकुर	ग्राम+पो0-बाबु टोला, कोहरा, थाना-परसा, जिला-सारण, (बिहार	समाजसेवा	न्यासी
5.	श्री परमेश्वर शर्मा पिता - स्व0 जगरनाथ चौधरी	ग्राम-जमालपुर, पोस्ट- पीर मकेर, थाना- मकेर, जिला - सारण, (बिहार)	समाजसेवा	न्यासी
6.	श्री संजय कुमार पिता - श्री बलिराम सिंह	ग्राम-सैदपुर, पोस्ट - परसा, थाना- दरियापुर, जिला - सारण, (बिहार)	जीवन बीमा अभिकर्ता सह समाजसेवा	न्यासी
7.	श्री रामानंद सिंह पिता - स्व0 सभापति सिंह	ग्राम-वलीगाँव, पोस्ट - माइर, थाना- परसा, जिला - सारण, (बिहार)	समाजसेवा	न्यासी

उपरोक्त सभी ट्रस्टियों ने सहर्ष ट्रस्टी बनना स्वीकार किया और ट्रस्ट फण्ड की उपरोक्त राशि प्राप्त की जो कि ट्रस्ट की स्थायी संपत्ति मानी जायेगी।

5. **ट्रस्ट के उद्देश्य :-**

यह ट्रस्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परमार्थिक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे:-

5.1. सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विकास, रख-रखाव एवं संचालन तथा सांस्कृतिक-सामाजिक एकता एवं समरसता के विकास हेतु कार्य करना अथवा कराना ।

5.2. शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना अथवा कराना।

5.3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला की उन्नति के लिए संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।

5.4. मानव संसाधन विकास के उद्देश्य हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, सेवा-सदन एवं जाँच केन्द्र, दन्त महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय, तथा उससे संबंधित जाँच केन्द्र, अभियंत्रण महाविद्यालय, परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्षण स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहुशिल्प महाविद्यालय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।

5.5. एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं हर्बल आदि दवाओं के शोध, विकास, निर्माण, वितरण एवं आयात तथा निर्यात करना अथवा कराना।

5.6. विदेशी शैक्षणिक संगठनों एवं संस्थानों अथवा सरकारों के साथ संबंध कायम रखकर अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी को उन्नत करना अथवा कराना।

अमरेश कुमार 27-8-12

उमाशंकर 27-8-12

राम लखन 27-8-12

विजय कुमार ठाकुर दस्तावेज लेखक से सही कागज पढ़कर समझा लिया 27-8-12

जिला अवर निबंधन कार्यालय ★ छपरा (सारण) ★

5.7. असहाय, निराश्रित, अपंग, बीमार, अनाथ, वृद्ध, विधवा, निर्धन व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करना एवं उनके लिये भोजन, कपड़े, अनाज, रहने की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध करना अथवा कराना।

5.8. धार्मिक स्थान, अनाथालय, यज्ञशाला, औषधालय, धर्मशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम, इत्यादि का निर्माण एवं विकास में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना।

5.9. विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर समाज के लोगों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना जागृत करना तथा विकास करना। इसके अतिरिक्त अन्य समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को यथासंभव आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता, प्रोत्साहन एवं सहयोग के द्वारा कार्य करना ।

5.10. समाज, राष्ट्र एवं भारतीय संस्कृति के चहुमुखी विकास हेतु नृत्यकला, गायनकला, संगीतकला, साहित्य सृजन एवं अन्य ललित कलाओं के विकास के लिये, विकास में संलग्न संस्थाओं को, किसी भी प्रकार से सहयोग देना, दिलाना अथवा ऐसा कार्य करना ।

5.11. सभी प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य करना अथवा कराना एवं सामान्य उद्देश्य वाली संस्थाओं को सहयोग करना।

5.12. प्राकृतिक आपदा जैसे आँधी–तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेग, महामारी इत्यादि से पीड़ित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी प्रकार मानव निर्मित विपत्तियों जैसे हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करना अथवा कराना।

जिला अवर निबन्धन कार्यालय * छपरा (सारण)

5.13. निर्धन, गरीब एवं अनाथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग देना तथा, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अनुदान पाठ्य सामग्रियों, पुस्तकों, शुल्क, पठन-पाठन व्यय आदि में सहयोग देकर प्रोत्साहित करना तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अथवा पाठ्य सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करना अथवा कराना।

5.14. समाज के गरीब, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना अथवा कराना।

5.15. इस ट्रस्ट के समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों, ट्रस्टों, संस्थानों, समितियों, सामुहिक अथवा निजी निकायों आदि को आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना अथवा कराना।

5.16. मूक प्राणियों, पशु-पक्षियों को अभयदान, आहारदान, दया करना तथा अन्य प्रकार से इन प्राणियों की रक्षार्थ कार्य करना ।

5.17. ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क निर्माण, विद्यालय निर्माण, सिंचाई, कूप निर्माण, आवास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना तथा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।

5.18. भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करना, लाभार्थियों एवं उनकी समस्याओं के आधार पर परियोजना निर्धारित करना, नवीन तकनिकी का ज्ञान, वर्षा जल का सिंचाई हेतु संग्रह एवं अन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखना, प्रदुषण नियंत्रण, जल प्रदुषण नियंत्रित करना, आर्थिक विकास से जुड़े क्रियाकलाप मत्स्य पालन, डेयरी, पौधा रोपण, बागवानी, आदि को बढ़ावा देना उसकी विपणन की व्यवस्था करना, सदस्य या संबद्ध संस्थाओं के परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

जिला अवर निबंधन कार्यालय
छपरा (सारण)

5.19. ग्रामीण युवाओं/युवतियों को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।

5.20. महिलाओं/युवतियों के समाजिक, शैक्षणिक (व्यवसायिक शिक्षा सहित) आर्थिक, भौतिक, नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल/ दक्षता विकास करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों/ गतिविधियों के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना।

5.21. शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु आवासीय शिक्षा/ अनावासीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना/ संचालन करना तथा बच्चों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु पाठशाला अध्ययन केन्द्र, व्यायामशाला, पार्क, बाग आदि बनाना ।

5.22. महिलाओं तथा युवतियों को नवीन तकनिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना ताकि उनकी भागीदारी आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

5.23. विकलांगों तथा मन्द बुद्धि बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष आवासीय विद्यालय की स्थापना करना एवं भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों/ ट्रस्टों/एजेन्सियों/संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं प्राप्त कराना।

5.24. समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान एवं शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, एजेन्सियों, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दान–अनुदान, ऋण एवं तकनिकी सहायता प्राप्त करना।

जिला अवर निबंधन कार्यालय छपरा (सारण)

5.25. पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी वृक्षारोपन एवं बागवानी आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, संचालित करना, सदस्य संस्थाओं को क्रियान्वय में सहयोग प्रदान करना, पौधा वितरण करना एवं फलदार वृक्षारोपण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, नर्सरी का विकास करना।

5.26. नशा विमुक्ति एवं मादक द्रव्य व्यसन निरोध के क्षेत्र परामर्श-सह-चिकित्सालय, सह-पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार करना।

5.27. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन तथा साक्षरता दर को बढ़ाने में सरकार को सहयोग प्रदान करना।

5.28. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसमुदाय को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र-सह-शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करना ।

5.29. ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्रमों से अवगत कराना, स्व-रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा सरकारी सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

5.30. शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना।

5.31. महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, वृद्धों, युवकों एवं युवतियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाना।

5.32. संस्थान के कार्यालय भवन का निर्माण करना, राज्य स्तर जिला स्तर, प्रखण्ड, स्तर पर शाखा कार्यालय की स्थापना करना एवं ग्रामीण

जिला अवर निबंधन कार्यालय छपरा (सारण)

विकास, सामाजिक कल्याण एवं मानव पुर्नवास कार्यक्रमों का संचालन करना।

5.33. बाल श्रमिक एवं महिला श्रमिक के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा पुर्नवास हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

5.34. एड्स पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना, एवं उसके रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य करना।

5.35. भूमि, जल संरक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।

5.36. पशु स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श केन्द्र का संचालन करना एवं रोग मुक्त जीवन हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया करना।

5.37. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनिकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु निधि प्राप्त करना।

5.38. ट्रस्ट हेतु समय-समय पर चल एवं अचल संपत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण-पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना, सुधार करना, विकास करना, किराये पर लेना एवं देना, अनुदान प्राप्त करना, ऋण लेना-देना, गिरवी रखना तथा अन्य ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित में हो जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिससे ट्रस्ट के उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो।

5.39. अन्य वो सभी समकालिक कार्य एवं उद्देश्य जो समाज के हित एवं विकास हेतु आवश्यक हो न्यास के उद्देश्य के रूप में शामिल एवं स्वीकार्य होगा।

''''''''''''''

जिला अवर निबन्धन कार्यालय छपरा

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन एवं नियमन:-

01. ट्रस्टियों की अधिकत्तम संख्या :-

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टीयों की संख्या अधिकतम 11 (ग्यारह) रहेगी।

02. ट्रस्टी बनने की योग्यता :-

इस ट्रस्ट के उद्देश्य के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखनेवाला समर्पित सेवा मापी व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष (इक्कीस वर्ष) व्यस्क होना आवश्यक है।

03. नामांकन :-

आजीवन ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नामांकित कर सकेगें। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तो उनके पति/पत्नी इस पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे अन्यथा उनके प्रथम पुत्र या प्रथम पुत्र के सहमति से उनके परिवार के कोई अन्य चयनित व्यक्ति इसका उत्तराधिकारी माना जायेगा।

न्यास के कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों का चयन प्रति वर्ष न्यास के द्वारा चुनाव के द्वारा किये जायेंगे।

04. ट्रस्टी को पदच्युक्त करने की प्रक्रिया :-

यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के प्रतिकुल कार्य करता है, या ऐसा कार्य करता हो जिससे ट्रस्ट की संपत्ति या प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि हो रही हो अथवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से ट्रस्टी कार्य करने के आयोग्य हो अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नहीं रह गया हो तो आजीवन ट्रस्टी एवं अन्य सदस्यों के बहुमत से सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से निकाला जा सकेगा।

05. <u>ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :–

ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल संपत्तियाँ ट्रस्ट के नाम से रहेगी, किन्तु उपरोक्त संपत्तियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट के हित में उपयोग करने, हस्तांतरित करने, किराये पर देने अथवा लेने का अधिकार रहेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान, अनुदान, सहायता, अंशदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतंत्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो। इसमें ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिये समस्त प्रयास सम्मिलित है, किन्तु उपरोक्त स्रोतों से अर्जित आय का उपयोग ट्रस्ट केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही कर सकेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की विभिन्न पूंजियों चल एवं अचल संपत्ति एवं नगदी का विनियोजन निम्नलिखित संस्थाओं में करने का अधिकार रहेगाः–

क. राष्ट्रीकृत बैंकों

ख. सरकारी प्रतिभूतियों

ग. युनिट ट्रस्ट

घ. सामाजिक संस्था के ऋण पत्र

ङ. ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में कर सकेंगे जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित है।

जिला अवर निबंधन कार्यालय ★ छपरा (सारण) ★

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यों के लिये किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थाओं से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर कर निष्पादित करने, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने, आलेख तैयार करने के लिये अधिकृत होंगे, किन्तु ऐसे ट्रस्टियों के नाम ट्रस्ट की बैठक में तय किये जायेंगे कि कौन ट्रस्टी किस कार्य के लिये अधिकृत रहेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने, समिति, उपसमिति का गठन करने एवं ट्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुरूप समय-समय पर नियम, विनियम तथा उपनियम बना सकेंगे ताकि इस ट्रस्ट का प्रबंध और प्रशासन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यों के लिये वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों जैसे प्रभारी, सहायक, टंकक, लिपिक, रोकड़िया, लेखाकार, निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, पुजारी, सेवक इत्यादी को नियुक्त करने, उनके वेतन, भत्ते एवं उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने, निलंबित करने, आदि के लिये अधिकृत होंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न व्यक्तियों, बैंक, वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं, साख समितियों से ऋण ले सकेंगे एवं प्रतिभूति बतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल संपति को गिरवी भी रख सकेगें।

भविष्य में ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं समितियों के संचालन हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर परियोजना समिति का गठन कर सकेंगें तथा इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के निर्देशानुसार होगा एवं परियोजना समिति की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों को समय से पूर्व भंग कर सकेगी। लेकिन ऐसी भंग की गई परियोजना समितियों का पुर्नगठन अधिकतम 6 माह में करना आवश्यक होगा तथा जब तक परियोजना

जिला अवर निबन्धन कार्यालय छपरा (सारण)

समिति/समितियों का पुर्नगठन नही हो जाता, जब तक उसका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा किया जायेगा।

आजीवन ट्रस्टी तथा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट के लिये किये गये कार्यो हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी नही रहेंगे तथा उन्हे ट्रस्ट के कार्य अवैतनिक की हैसियत से करने होंगे, तथापि ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये जानेवाले विभिन्न कार्यों में कोई व्यय उनके पास से होगा तो वे उसका भुगतान ट्रस्ट से प्राप्त करने के अधिकारी होंगें।

संस्थापक सह चेयरमैन के अधिकार एवं कर्तव्यः-

(1) सेट्लर सह चेयरमैन का पद आजीवन होगा।

(2) संस्था की एकता का प्रतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की बैठक की सेटलर सह चेयरमैज ता करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें ।

(3) सेटलर सह चेयरमैन की अनुपस्थिति में बैठक में लिये गये किसी निर्णय पर इनकी सहमति आवश्यक होगी।

(4) सेटलर सह चेयरमैन ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें तथा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये सर्वोच्य पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में न्यास के कार्यकारी समिति के अधीन रहकर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(5) ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

(6) ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार कराना तथा उनका अंकेक्षण किसी मान्य सनदी लेखाकार से कराना एवं उसकी सम्पुष्टि ट्रस्ट के

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कराना तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

(7) न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सुझाव देना एवं योजना समितियों/ कार्यकारिणी समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा संस्था के विकास हेतु प्रतिनिधित्व करना।

(8) संस्था के कार्यक्रमों कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करने पर प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

सचिव-सह-न्यासी के अधिकार एवं कर्तव्यः-

(1) न्यास की ओर से पत्राचार करना।

(2) न्यास की बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना।

(3) न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा बैठकों के लिये सेटलर-सह-चेयरमैन की सहमति से एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

(4) अध्यक्ष-सह-चेयरमैन की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना तथा बैठक से सम्बन्धित किसी निर्णय पर बाद में अध्यक्ष-सह-चेयरमैन को सूचना देना।

कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी के अधिकार एवं कर्तव्यः-

(1) ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना/कराना तथा समय-समय पर उसकी सम्पुष्टि अध्यक्ष से कराना।

(2) संस्था के कोष अथवा रोकड़ और बैंक बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व सेटलर सह चेयरमैन को होगा। अधिक से अधिक 10,000/- (दस हजार) रुपये तक नगद संस्था के कार्यों के लिये कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी अपने पास रखेंगे।

जिला अवर निबंधन कार्यालय ★ छपरा (सारण) ★

परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से जमा करना/कराना या सेटलर-सह-चेयरमैन के पास जमा करना कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी का दायित्व होगा।

06. ट्रस्ट (न्यास) कोष का संचालन :-

न्यास के नाम प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत/निबंधित बैक या डाकघर में रखा जायेगा। न्यास के खाता न्यास के सेटलर सह चेयरमैन एवं सचिव सह न्यासी के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा।

खाता का संचालन उपरोक्त में से दो पदधारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी। जिसमें सेटलर सह चेयरमैन का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। साथ ही साथ भविष्य में खाता संचालन के संदर्भ में किसी प्रकार की परिवर्त्तन करने या इसकी सूचना सम्बन्धित बैंक में देने का कार्य सेटलर सह चेयरमैन द्वारा की जायेगी।

07. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष :

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त माना जायेगा।

08. ट्रस्टियों की सभा एवं कोरम :

ट्रस्ट के विभिन्न पुद्दों पर विचार करने हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

उपरोक्त कार्यों को वे विभिन्न ट्रस्टियों को परिपत्रों के रूप में भेजकर भी निष्पादित कर सकेंगे, किन्तु ट्रस्टियों की वर्ष में कम से कम दो (2) या प्रत्येक छः महीने में कम-से-कम एक बार बैठक होना अनिवार्य होगा तथा बैठक में ट्रस्टियों की संख्या का एक तिहाई के बराबर ट्रस्टीयों की उपस्थिति होने पर ही सभा का कोरम पूरा माना जायेगा। अन्यथा स्थगित करना होगा।

सामान्य बातें :

01\. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिये प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी अधिकार कार्यकारी समिति/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होंगे।

02\. संदेह दूर करने के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति समाज, समुदाय विशेष के लिये न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गो के व्यक्तियों के हितो के लिये की गयी हैं।

03\. ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायगा तथा उस पर सेटलर सह चेयरमैन के हस्ताक्षर होगें।

04\. ट्रस्ट की सभी कार्यवाहियों एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।

05\. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तो ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 (तीन चौथाई) बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन किया जा सकेगा।

07\. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में कोई बातें जो स्पष्ट नहीं हो या लिखी नहीं गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 अथवा उस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा।

08\. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा।

09\. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल संपति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये नही कर सकेगा।

10\. इस न्यास से सम्बन्धित किसी वाद या विवाद निपटारा का न्यायिक क्षेत्र सारण होगा।

11\. यह ट्रस्ट अखण्डनीय है।

अतः तदानुसार आज ईश्वर के आशीर्वाद से दिनांक .. ..को इस ट्रस्ट की घोषणा ट्रस्ट के संस्थापक व आजीवन ट्रस्टी ने निम्नलिखित ट्रस्टियों/न्यासियों एवं साक्षियों की उपस्थिति में सोच-समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादन किया।

हस्ताक्षर संस्थापक

गवाह

ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर

1.

1. अमरेश कुमार

2. [illegible]

3. राम लक्ष्मण सिंह

4. विजय कुमार ठाकुर

2.

5. परमेश्वर शर्मा

6. संजय कुमार

7. रामानन्द सिंह

अमरेश कुमार

राम लक्ष्मण सिंह

परमेश्वर शर्मा

रामानन्द सिंह

[illegible]

विजय कुमार ठाकुर

संजय कुमार

लिपिबद्धकर्ता - मनोज कुमार ईक लाo नo 17/05 [illegible]

Endorsement of Certificate of Admissibility

...able under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ... Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	2512/-

Registration Fee — FEE PAID

A1	2076	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	36
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2112

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2512

Registering Officer
Saran

Date: 27/08/2012

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Saran (Chapra) on Monday, 27th August 2012 by Amresh Kumar (Chairman) S/O Parbhuram Singh by profession Agriculture. Status - Trustee

अमरेश कुमार

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:27/08/2012**

Registering Officer
Saran (Chapra)

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ramji Singh' age '42' Sex 'M', 'Satya Narayan Prasad', resident of 'Sobheparsa, P.S.-Parsa, Saran'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Saran

Date : 27/08/2012

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Saran (Chapra) in Book 4 Volume No. 15 on pages on 130 -149 , for the year 2012 and stored in CD volume No. CD-4 year 2012 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Saran

Date : 27/08/2012

Token No. : 12298 **Year : 2012** **S.No. : 12011** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 943**